राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की दिनांक 24/02/2015 को आयोजित 124वीं बैठक के कार्यवृत

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति, राजस्थान की 124 वीं बैठक की अध्यक्षता कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा श्री रंजन धवन द्वारा की गई। बैठक में श्री राजीव सिंह ठाकुर, शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन डायरेक्टर (LP & SHGs) राजस्थान सरकार, श्री सिद्धार्थ महाजन, विशेष सचिव-वित्त, राजस्थान सरकार, श्री वी.जी. शेकर, महाप्रबन्धक (कार्यालय प्रभारी), भारतीय रिजर्व बैंक, डा. राजेन्द्र सिंह, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, तथा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारीगण, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, विभिन्न बैंको, व वित्तीय संस्थाओं के कार्यपालकों/अधिकारियों द्वारा सहभागिता की गयी। (संलग्न सूची के अनुसार)

संयोजक, एस.एल.बी.सी., राजस्थान श्री आर.के.गुप्ता द्वारा बैठक के अध्यक्ष, मंचासीन गणमान्य सदस्यों एवं उपस्थित अन्य सभी सदस्यों का स्वागत किया गया तथा अध्यक्ष महोदय को उदबोधन हेतु आमंत्रित किया गया।

कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं बैठक के अध्यक्ष श्री रंजन धवन ने उदबोधन के प्रारम्भ में बैंको के कार्यनिष्पादन पर प्रकाश डालते हुए हुए बताया कि राज्य में विभिन्न पैरामीटर्स के तहत संतोषप्रद उपलब्धियां दर्ज की गई हैं। उन्होने सदन को अवगत करवाया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 के दिसम्बर माह तक राज्य में 375 नई बैंक शाखायें खोली गयी हैं तथा कुल व्यवसाय रू 452219 करोड़ रहा है, बैंक व्यवसाय में वर्ष दर वर्ष (YOY) वृद्धि 15.92% रही है। राज्य में कुल बैंक जमाएं 236457 करोड़ तथा कुल अग्रिम 215762 करोड़ रहे हैं। राज्य में साख-जमा अनुपात 94.87% रहा, जो राज्य मे कार्यरत बैंको के उत्कृष्ट कार्य को दर्शाता है तथा यह सब राज्य में कार्यरत बैंकों तथा सरकार की सक्रिय सहभागिता / योगदान से ही सम्भव हो पाया है।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि **वार्षिक साख योजना** के तहत दिसम्बर-14 तक उपलब्धि 81% रही है अभी तक की उपलब्धि पर संतोष जाहिर करते हुए, बैंकों से निर्धारित लक्ष्यों को समयबद्ध रूप से प्राप्त करने का विश्वास व्यक्त किया।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को अवगत करवाया कि भारत सरकार ने अल्प संख्यक समुदाय में जैन जाति को सम्मिलित कर लिए जाने के उपरांत भी अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण, कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का मात्र 7.84 % रहा है, जिस पर ध्यान देने की आवश्यकता है तथा उन्होने प्रदत्त ऋणों का सही- सही वर्गीकरण एवं रिपोर्टिंग की आवश्यकता पर जोर दिया।

अध्यक्ष महोदय ने बतलाया कि माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा प्रत्येक घर को बैंक खाते से जोड़ने हेतु वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन 'प्रधानमंत्री जन धन योजना' (PMJDY) की शुरूआत की है। योजना में बेहद सकारात्मक प्रतिक्रियाएं मिली हैं और लगभग 12 करोड़ से अधिक खाते सम्पूर्ण भारत में खोले जा चुके हैं, इनमें से राजस्थान राज्य में लगभग 92 लाख खाते खोले जा चुके हैं। यह अत्यंत प्रसन्नता का विषय है कि राज्य के प्रत्येक House-hold को बैंक खाते से जोड़ लिया गया है तथा 30 जिलों के जिला प्रशासन द्वारा जारी संतृप्ति प्रमाण पत्र (saturated होने का) भी प्राप्त कर लिया गया है एवं शेष रहे 3 जिलों (करौली,अजमेर एवं पाली) में संतृप्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

अध्यक्ष महोदय ने प्रधानमंत्री जन धन योजना के सफल क्रियांवयन के लिए राज्य सरकार, नाबार्ड, सभी बैंक एवं अन्य हितधारकों की सक्रिय सहभागिता एवं सहयोग हेतु धन्यवाद दिया। साथ ही यह भी कहा कि राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही भामाशाह योजना से House-hold के कवरेज करने में बैंको को अपने लक्ष्य प्राप्त करने में सहायता मिली है।

अध्यक्ष महोदय ने अवगत करवाया कि योजना के तहत रुपे डेबिट कार्ड लेने पर 1 लाख का दुर्घटना बीमा कवर तथा लाभार्थी जिन्होंने 15 अगस्त 2014 के उपरांत एवं 26 जनवरी 2015 तक योजना के तहत खाता खोला है, उनको रू 30000 का जीवन बीमा कवर तथा खाते के सुचारू रूप से संचालन पर 5000 रूपये की ओवर ड्राफ्ट सुविधा भी दी जानी है ।

अध्यक्ष महोदय ने बताया कि वित्तीय साक्षरता वित्तीय समावेशन का अभिन्न अंग है तथा PMJDY योजना के सफल क्रियान्वयन में वित्तीय साक्षरता अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। योजना के तहत खोले गये खातों में लेनदेन करवाने हेतु वित्तीय साक्षरता का प्रसार बहुत ही महत्वपूर्ण है। वित्तीय साक्षरता के लिये अभियान/केम्प आयोजित करने की विशेष आवश्यकता बतलाई। इस हेतु मौजूदा वित्तीय साक्षरता केंद्रो का प्रचार -प्रसार हेतु बेहतर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। राज्य में वित्तीय समावेशन को सार्थक बनाने में अहम भूमिका निभाने के लिये कुल 59 FLC केन्द्रों की स्थापना की गयी है जो सभी जिलों में वित्तीय साक्षरता उपलब्ध करवाने मे सार्थक भूमिका निभा रहे हैं। उन्होने ग्रामीण एवं अर्ध शहरी क्षेत्रों में भी वित्तीय साक्षरता केन्द्र स्थापित करने की आवश्यकता पर जोर दिया।

अध्यक्ष महोदय ने अवगत करवाया कि वित्तीय साक्षरता के प्रचार प्रसार हेतु नाबार्ड से FIF फण्ड से वित्तपोषित एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के समन्वय में भारत सरकार एवं राज्य सरकार की योजनाओं यथा प्रधानमंत्री जन-धन योजना, भामाशाह योजना, वित्तीय शिक्षा एवं साक्षरता तथा वित्तीय समावेशन जैसे विषयों पर प्रदेश के लोगों को शिक्षित करने एवं जागरूकता फैलाने के लिए **"लक्ष्मी बरसे घर आंगन"** कार्यक्रम एवं क्विज कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण आकाशवाणी जयपुर द्वारा किया जा रहा है। सभी सदस्यों से आकाशवाणी से प्रसारित इन कार्यक्रमों का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करने हेतु अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने अवगत करवाया कि भारत सरकार ने "पहल" के नाम से दिनांक 01.01.2015 को संशोधित DBTL योजना की शुरूआत की है जिसमें ग्राहक जिनका आधार कार्ड नहीं है, वे भी बैंक खातों में प्रत्यक्ष अंतरण लाभ प्राप्त कर सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय ने सूक्ष्म बीमा, पेंशन और अन्य Remittance सुविधाओं को सीधे बैंक खाते में भेजने हेतु तीव्रता से आधार सिडिंग करने पर जोर दिया एवं सदन को सूचित किया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी निर्देशानुसार दिनांक 15.03.2015 तक सभी **बी.सी./ कियोस्क ओपरेटर के** आधार लिंकड बैंक खाते हों जिससे कि आधार आधारित Biometric Login प्रमाणीकरण की व्यवस्था के माध्यम से संव्यवहार हो सकें। सभी बैंको से भामाशाह enrollee को Co-Branded भामाशाह रूपये कार्ड

जारी करने एवं भामाशाह **enrollee एवं बैंक खाते** की Mapping करने के बाद सम्बन्धित विभाग को Mapper फाईल उपलब्ध करवाने हेतु आग्रह किया गया।

अध्यक्ष महोदय ने सभी बैंको से प्रधानमंत्री जन-धन योजना के तहत Personalized रूपे डेबिट कार्ड जारी करने व e-KYC के माध्यम से खाते खोलने पर जोर दिया । प्रत्येक शाखा में दिनांक 30.04.2015 तक On-Site ATM लगाने हेतु, सभी बैंको से अनुरोध किया। तदानुसार अवगत करवाया कि जिस शाखा में On-Site ATM की स्थापना संभव/ व्यवहार्य नहीं है, वहां पर वित्त मंत्रालय भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार संबंधित बैंक शाखा के 500 मीटर के क्षेत्र के भीतर ATM स्थापित किया जाना चाहिए ।

अध्यक्ष महोदय ने सदन को सूचित किया गया कि नाबार्ड द्वारा आयोजित क्रेडिट सेमिनार में वर्ष 2015-16 की संभाव्यतायुक्त ऋण योजना (PLP) को प्रस्तुत किया गया है जिसमें प्राथमिकता क्षेत्र के लिए रू 114927 करोड़ (जो कि पिछले वितीय वर्ष 2014-15 के लक्ष्यों से 46 % ज्यादा है) ऋण प्रवाह की घोषणा की गयी है जिसमें से 88269 करोड़ कृषि क्षेत्र में ऋण प्रवाह करने का लक्ष्य रखा गया है ।

अध्यक्ष महोदय ने सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लम्बित आवेदनों को दिनांक 15.03.2015 तक निपटान करने हेतु समस्त बैंको से आग्रह किया तथा संबंधित प्रायोजक विभाग/एजेंसी को बैंको से समन्वय स्थापित कर आवेदन पत्र प्रस्तुत करने का अनुरोध किया ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा अवगत करवाया गया कि वित्त वर्ष के दौरान विभिन्न योजनाओं के तहत उपलब्धि की समीक्षा एवं अन्य विकासपरक मुद्दों पर आज की बैठक के कार्यसूची में विस्तृत चर्चा की जावेगी । अंत में उन्होने राज्य सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड, सदस्य बैंक व अन्य हितधारकों को आपसी सहयोग व समन्वय से राज्य के सतत विकास प्रक्रिया के उद्देश्यों की प्राप्ति पर धन्यवाद भी ज्ञापित किया ।

अध्यक्षीय उदबोधन के पश्चात विभिन्न कार्यसूची पर चर्चा प्रारम्भ की गयी ।

<u>एजेण्डा क्रमांक –1 (1.1)</u> सदन द्वारा विगत 123 वीं बैठक के कार्यवृत की पुष्टि की गयी ।

<u>एजेण्डा क्रमांक –1 (1.2) कार्यवाही बिन्दु:</u>

1. **Coverage of all SSAs and Complete Survey for allotted SSAs &Ward and Ensure opening of accounts of household identified as uncovered :-**

राज्य की सभी 9091 ग्राम पंचायत में 9406 उप-सेवा क्षेत्र (SSA -Sub Service Area) चिन्हित किए गए हैं, जिनमें से अभी तक सभी 9406 उप-सेवा क्षेत्र (SSA -Sub Service Area) बैंक शाखा अथवा बी.सी.के माध्यम से कवर किए जा चुके हैं तथा सभी Household के खाते खोलने का कार्य पूर्ण कर लिया गया है।
30 जिलों के जिला प्रशासन द्वारा जारी संतृप्ति प्रमाण पत्र (saturated होने का) भी प्राप्त कर लिया गया है एवं शेष रहे 3 जिले यथा पाली, अजमेर एवं करौली में संतृप्ति प्रमाण पत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही हैं।

(कार्यवाही-सदस्य अग्रणी बैक)

(ii) Amendment in PDR Act, to include the Banks` dues under Government Sponsored programs as State dues under the definition of Financial Assistance for enabling the Banks to recover their dues:-

आयोजना विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1952 में संशोधन सम्बन्धित प्रस्ताव को राजस्व विभाग के ड्रॉप करने के निर्णय से अवगत करवाया गया। **इस क्रम में संयोजक एस.एल.बी.सी.** द्वारा सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में बढते NPA को ध्यान में रखते हुए सचिव, ग्रामीण विकास, राज्य सरकार से एक्ट में संशोधन करने व पुन: विचार करने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं सदस्य बैंक)

(iii) Providing information i.e. Name, Mobile Number, Address of BCA/Kiosk deployed in allotted SSA

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने बैंको द्वारा स्थापित कियोस्क/ बी.सी. Location पर नियमित रूप से बैंकिग लेन-देन/सेवायें उपलब्ध करवाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा सभी बैंको से अनुरोध किया कि बी.सी. की सम्पूर्ण सूचना जैसे नाम, पता, मोबाईल न., फोटो, पिन कोड इत्यादि एस.एल.बी.सी. को 28/02/2015 तक उपलब्ध करायें जिसे एस.एल.बी.सी. की साईट पर अपलोड किया जा सके।

(कार्यवाही-सदस्य बैंक)

(iv) <u>Installation of Onsite ATM:</u>

राज्य मे कार्यरत 6644 शाखाओं मे से 3271 शाखाओं मे ही Onsite ATM की सुविधा उपलब्ध है।

अध्यक्ष महोदय ने Onsite ATM स्थापित करने के लिये सभी बैकों को आवश्यक कदम उठाने पर बल दिया एवं बताया कि ऐसी शाखा जहां ATM लगाना व्यवहार्य नही है वहां पर वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देश के अनुसार संबंधित बैंक शाखा के 500 मीटर के क्षेत्र के भीतर ATM स्थापित करने की कार्यवाही करें तथा 30.04.2015 तक सभी शाखाओं मे Onsite ATM सुविधा सुनिश्चित करावें।

(कार्यवाही-सदस्य बैक)

(v) Allotment of land to RSETIs, Alwar & Bharatpur Districts and early resolution of the issue of land Conversion charges

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने राज्य सरकार से अलवर एवं भरतपुर R-Seti को भूमि आवंटन करने का अनुरोध किया। सचिव, ग्रामीण विकास ने 30.04.2015 तक भूमि आवंटित करने हेतु आश्वस्त किया।

(कार्यवाही-ग्रामीण विकास विभाग)

(vi) All Public sector Non-life Insurance Companies according to their geographical area of operation decides the area wise target for micro insurance & progress thereof may be advised to SLBC

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बतलाया कि सूक्ष्म बीमा उत्पादों की बिक्री हेतु SSA स्तर पर प्रशिक्षित बीमा अभिकर्ता की उपलब्धता आवश्यक है एवं जिस SSA में बीमा अभिकर्ता उपलब्धत नहीं है, ऐसे SSAs में बैंक बी.सी. को बीमा उत्पादों की बिक्री पर प्रशिक्षण देकर बीमा कम्पनियां अपना अभिकर्ता बना सकती हैं।

जीवन बीमा एवं गैर जीवन बीमा कंपनियों को उनके भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार, क्षेत्रवार सूक्ष्म बीमा के लक्ष्य निर्धारित कर दिनांक 10.03.2015 तक एस.एल.बी.सी. के साथ साझा करने का अनुरोध किया गया।

अध्यक्ष महोदय द्वारा जीवन बीमा एवं गैर जीवन बीमा कंपनियों द्वारा इस सम्बन्ध में गम्भीरता से काम करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही- बीमा कं.)

<u>एजेण्डा क्रमांक - 2:</u>

शाखा विस्तार: राज्य में 31.12.2014 को कुल 6644 बैंक शाखाएँ कार्यरत हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान खोली गई 375 शाखाओं में से 249 (66.40%) शाखाएँ ग्रामीण व अर्धशहरी केन्द्रों पर स्थापित की गयी हैं। दिसम्बर 2014 तक खोली गई 375 शाखाओं में से व्यवसायिक बैंको ने 345 शाखांए, ग्रामीण बैंको ने 29 शाखांए तथा कॉ-आपरेटिव बैंक ने 1 शाखा राज्य में खोली है।

<u>जमाएँ व अग्रिम:</u> दिसम्बर 2014 को राज्य में कुल जमाएँ रूपये 236457 करोड़ तथा कुल ऋण रूपये 215762 करोड़ रहे हैं, जो कि क्रमशः वर्ष दर वर्ष 15.14 % एवं 16.80% की संतोषजनक वृद्धि दर्शाते है।

<u>प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण</u>: प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को कुल ऋण रूपये 119196 करोड़ रहा जो कुल अग्रिम का 55.24% रहा है।

भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबन्धक (कार्यालय प्रभारी-क्षेत्रीय निदेशक) ने बताया कि **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** में राज्य में बहुत अच्छा कार्य हुआ है लेकिन कुछ बैंको द्वारा अभी तक **प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र** में Mandatory 40% लक्ष्य को भी प्राप्त नही किया है जिनमें आन्ध्रा बैंक, बैंक ऑफ इण्डिया, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, सिंडीकेट बैंक, विजया बैंक,कोर्पोरेशन बैंक,बैंक ऑफ महाराष्ट्र एवं स्टेट बैंक ऑफ मैसूर मुख्य है।

राज्य मे कुल अग्रिमों का कृषि क्षेत्र को अग्रिम 30.04% कमजोर वर्ग को 17.43% रहा है जो लक्ष्यों के अनुरूप है परंतु अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋण प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र का 7.84 % रहा है जो अपेक्षा से काफी कम है।

संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकेर्स समिति द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत्त ऋणों में उत्तरोत्तर वृद्धि हेतु ओर प्रयास किए जाने तथा Minority Concentrated Blocks मे स्थित बैंक शाखाओं को विशेष लक्ष्य आवंटित करने तथा अल्पसंख्यक समुदाय को प्रदत ऋणों का सही-सही वर्गीकरण करने की आवश्यकता पर बल दिया,

साथ ही जिन बैंको का प्राथमिकता प्राप्त अग्रिम /कृषि अग्रिम निर्धारित मापदण्डों से कम है उन्हे विशेष प्रयास करने का आग्रह किया गया ।

साख जमा अनुपात (CD Ratio): दिसम्बर, 2014 को राज्य में साख जमा अनुपात 94.87% रहा । जिला स्तर पर 31 जिलों का साख जमा अनुपात 50% से अधिक रहा, वहीं दो जिलों यथा डूंगरपुर व राजसमन्द में यह अनुपात क्रमशः 46% एवं 47% रहा है ।

अध्यक्ष महोदय ने इन जिलों मे कार्यरत सभी बैको से चालू वर्ष के दौरान साख-जमा अनुपात मे आशातीत वृद्धि हेतु आवश्यक कदम उठाने की अपेक्षा व्यक्त की ।

(कार्यवाही-सदस्य बैक)

वार्षिक साख योजना के तहत प्रगति: वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान वार्षिक साख योजना के तहत निर्धारित लक्ष्यों (वार्षिक) के सापेक्ष दिसम्बर तक उपलब्धि 81% रही। विभिन्न उप क्षेत्रों के तहत कृषि में 79%, सूक्ष्म व लघु उधम क्षेत्र में 156%, अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र में 36% की उपलब्धि दर्ज की गई ।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने कृषि सावधि ऋण को बढाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया तथा उन्होने क्षेत्रवार एवं कार्यकलाप वार योजनाओं को लागू करने पर बल दिया एवं छोटी-छोटी गतिविधियों जैसे Dairy, Fisheries, Horticulture इत्यादि पर अधिक ध्यान देने पर जोर दिया । उन्होने बताया कि सावधि ऋणों को बढाने हेतु विचार विमर्श पर 5-6 सेमिनार आयोजित की गई हैं तथा आगे से सभी बैंको को इन सेमिनार मे आमंत्रित करते रहेंगे उन्होने बढते अल्पावधि कृषि ऋणों की प्रवृति पर चिंता व्यक्त की तथा सभी बैंको से कृषि में पूजीगत निवेश हेतु वित्तपोषण करने का आग्रह किया । उन्होने कहा कि कृषि सावधि ऋण की अपेक्षित सीमा 30% के सापेक्ष वर्तमान में मात्र 10.80 ही है ।

(कार्यवाही-सदस्य बैक)

एजेण्डा क्रमांक – 3-

Roadmap for covering all unbanked villages of population below 2000

2000 से कम आबादी वाले 35085 बैंक रहित (Unbanked) गांवो मे से 19826 गांवो को मार्च 2015 तक कवर करने का लक्ष्य था जिसके सापेक्ष दिसम्बर 2014 तक की अवधि में ही 28253 गांव कवर कर लिये गये हैं ।

महाप्रबन्धक (कार्यालय प्रभारी-क्षेत्रीय निदेशक),भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि 2000 से कम आबादी वाले गावों का रोडमेप विभिन्न बैंकों द्वारा तैयार कर भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया था उसमें बैंकों द्वारा अच्छा कार्य किया गया है लेकिन उक्त रोडमेप में बैंकों ने स्वयं निर्धारित लक्ष्य के अंतर्गत 2000 से कम आबादी वाले गावों में शाखा खोलने के जो लक्ष्य निर्धारित किये थे उनमे बैंकों द्वारा ज्यादा ध्यान नही दिया गया है एवं अधिकतर गावों को बी.सी. के माध्यम से कवर कर दिये गये है अतः PNB,UCO,RRBs इत्यादि बैंकों से अनुरोध है कि वह स्वयं निर्धारित लक्ष्य के अनुसार शाखा खोलना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही- सदस्य बैंक)

Mapping of Gram Panchayat for coverage through Branch/BCA/CSCs for Direct Cash Transfer – Sub Service Area Approach:

DFS, GoI ने वित्तीय समावेशन के तहत SSA approach को अपनाया है जिसके तहत जनसंख्या व दूरी के आधार पर राज्य मे कुल 9091 ग्राम पंचायतों मे 9406 SSAs चिन्हित कर बैकों को आवंटित किये गये हैं। जिनमे से 31.12.2014 तक 9392 SSAs कवर किये जा चुके हैं एवं आज दिनांक तक सभी 9406 SSAs, बैंक शाखा एवं बी.सी. के माध्यम से कवर किये जा चुके है।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना : प्रधानमंत्री जन-धन योजना भारत में वित्तीय समावेशन पर राष्ट्रीय मिशन है जिसका उद्देश्य देश भर में सभी परिवारों के खाते खोलना तथा अन्य बैंकिंग सुविधाएं जैसे वित्तीय साक्षरता, सुक्ष्म ऋण सुविधाएं, RuPay डेबिट कार्ड, सुक्ष्म बीमा उत्पाद इत्यादि मुहैया करवाना है। इस योजना की घोषणा 15 अगस्त 2014 को तथा इसका शुभारंभ 28 अगस्त 2014 को माननीय प्रधानमंत्री ने किया था।

इस योजना का मिशन मोड मे क्रियांवयन किया जा रहा है। इसकी कार्ययोजना के तहत निम्नानुसार 6 कार्यबिन्दु (6 Piller) बनाये गये है :-

1. बैंकिंग सुविधाओं के लिए यूनिवर्सल एक्सेस
2. वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम
3. बुनियादी बैंकिंग खातों की उपलब्धता
4. माइक्रो क्रेडिट की उपलब्धता और ऋण गारंटी कोष की स्थापना
5. सूक्ष्म बीमा की उपलब्धता
6. असंगठित क्षेत्र मे स्वावलम्बन जैसी पेंशन योजना की उपलब्धता

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सभी सदस्य बैंको से अनुरोध किया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत निम्न मुद्दो पर विशेष ध्यान दिये जाने की जरूरत है :

1. रूपे डेबिट कार्ड जारी करना- उक्त योजना के तहत खोले गये सभी खातों में रूपे डेबिट कार्ड जारी करना एवं उन्हे खाताधारक को Deliver करना
2. दुर्घटना बीमा दावा आवेदनों का समयबद्ध प्रस्तुतीकरण एवं निस्तारण
3. खातों मे आधार नम्बर सिडिंग करना- संयोजक एस.एल.बी.सी. ने बी.सी. पोईन्ट पर आधार सिडिंग की सुविधा होनी चाहिए एवं इस हेतु बी.सी. को भुगतान प्रोत्साहन के रूप में करना चाहिए। इस पर ICICI बैंक के प्रतिनिधि ने बताया कि हमारे बैंक मे बी.सी. आधार सिडिंग करता है तो 1 रूपया प्रति आधार सिडिंग भुगतान किया जा रहा हैं।
4. सभी बी.सी. Location को Functional रखना एव गहन मॉनिटरिंग- यदि कोई भी बी.सी. 5 दिन तक Transaction नही करता है तो उसके कारणों का पता करना चाहिए।
5. वित्तीय साक्षरता केम्प आयोजित कर बैंक खाते के लाभ एवं रूपे कार्ड के प्रयोग के बारे मे जागरूकता पैदा करना तथा सूक्ष्म ऋण,सूक्ष्म बीमा इत्यादि अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना।
6. Zero Balance खातों मे Funding करवाना

(कार्यवाही सदस्य-बैक एवं बीमा कं.)

Co-Branded Bhamasha RuPay Card to Bhamashah enrollee & Completion of mapping of Bhamashah enrollee and Bank account :

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने सभी बैंको से भामाशाह enrollee को Co-Branded भामाशाह रूपये कार्ड जारी करने एवं भामाशाह enrollee एवं बैंक खाते की Mapping करने के बाद सम्बन्धित विभाग को Mapper फाईल उपलब्ध करवाने हेतु आग्रह किया गया। भामाशाह प्रतिनिधि ने बतलाया कि बैंक ऑफ बडौदा एवं पंजाब नेशनल बैंक के द्वारा भामाशाह को-ब्रांडेड रूपे कार्ड जारी करना प्रारम्भ कर दिया गया है। अन्य सभी सदस्य बैंको से भी इस हेतु आग्रह किया गया ताकि राज्य सरकार की इस योजना को समावेशी विकास हेतु सफल बनाया जा सकें।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

सांसद आदर्श ग्राम योजना :

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि राजस्थान राज्य में सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत 30 गावों को सांसदों ने गोद लिया है। प्रधानमंत्री जन-धन योजना में इन गांवो को कवर करने अर्थात बैंकिंग सेवाएं/बीमा सेवाएं देने हेतु सदस्य बैंकों एवं अग्रणी जिला प्रबन्धक को एस.एल.बी.सी. द्वारा दिशानिर्देश जारी किये गये हैं।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक/बीमा कं.)

PMJDY- Involvement of Co-Operative Bank:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि वित्तीय सेवाएं विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने निर्देशित किया है कि जो सहकारी बैंक CBS प्लेटफोर्म पर है एवं RuPay Debit कार्ड जारी कर सकते हैं, उन्हें SSA एवं Ward आवंटित किये जाने चाहिए।

इस हेतु संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने Apex Co-operative Bank से अनुरोध किया कि वह अपनी इच्छा से कुछ SSA/Ward अपनाकर बैंकिग सुविधाएं उपलब्ध करावें।

(कार्यवाही: अपेक्स सहकारी बैंक)

National Unified USSD Platform (NUUP):

राष्ट्रीय एकीकृत यूएसएसडी मंच (NUUP) आधारित एक मोबाइल बैंकिंग सेवा है जिसमे बैंकिंग ग्राहक को मोबाईल के माध्यम से निम्न सेवाऐ दी जाती हैं।

1. बैलेंस पूछताछ
2. खाता विवरण (पिछले तीन लेन-देन)
3. इंटरबैंक फंड ट्रांसफर
4. एम-पिन बदलने की सुविधा

इस सेवाओं के उपयोग के लिए अपने बैंक मे पंजीकृत मोबाईल नम्बर से * 99 # शॉर्ट कोड डायल कर उपरोक्त सेवाओं का उपयोग किया जा सकता है।

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने इस सेवा के लोकप्रिय नहीं होने का कारण जानना चाहा एवं सभी सदस्य बैंकों से इस सेवा का प्रचार प्रसार बैनर/पोस्टर, एफएम रेडियो, स्थानीय केबल ऑपरेटर व प्रिंट मीडिया के माध्यम से करने पर जोर दिया, साथ ही इस सेवा से सभी बैंको के स्टाफ सदस्यों को अवगत करवाने का अनुरोध किया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

Setting of Clearing Arrangement /Clearing House at Centers which have 3 or more Bank Branches

राज्य मे चिन्हित किये गये 229 केन्द्रों मे से दिसम्बर,2014 को 121 केंन्द्रो पर clearing arrangement/ Clearing House सुविधा उपलब्ध करवा दिये जाने के बारे में सदन को सूचित किया गया।

सभी DCC Convenor Banks से अनुरोध किया गया कि चिन्हित किये गये केन्द्रों पर clearing arrangement/Clearing House सुविधा शीघ्र उपलब्ध करवायें तथा वो केन्द्र जहां clearing arrangement/Clearing House स्थापित हो गये हैं, उन केन्द्रों की Cheque handling से सम्बन्धित सूचनाएं निर्धारित प्रारूप में भारतीय रिजर्व बैंक को समयबद्ध रूप में भेजना सुनिश्चित करें।

(कार्यवाही: DCC Convenor Banks)

एजेण्डा क्रमांक – 4:

Agriculture Credit Flow:

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने राज्य मे कृषि ऋणों में वृद्धि हेतु अपार सम्भावनायें बतलायी तथा Investment Credit पर विशेष बल देने की आवश्यकता तथा क्षेत्र आधारित Investment Credit पर जोर दिया व सभी पात्र के.सी.सी.(KCC) खाता धारको को किसान रूपे डेबिट कार्ड/ए.टी.एम कार्ड शीघ्र जारी करने पर बल दिया।

मुख्यमहाप्रबन्धक, नाबार्ड ने भी क्षेत्र आधारित इनवेस्टमेण्ट क्रेडिट जैसे Dairy, Horticulture, Vegetable Growing पर जोर दिया तथा इन सभी क्रियाकलापो मे Investment Credit बढाने हेतु DDM's & LDM's का सहयोग लेने पर बल दिया।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम):

एनएलएम के क्रियान्वयन के लिए नाबार्ड द्वारा वर्ष 2014-15 हेतु प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया है। यह मिशन पशुधन उत्पादन प्रणाली और सभी हितधारकों के क्षमता निर्माण में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक सभी गतिविधियों को कवर करने के लिए बनाया गया है।

एनएलएम मे निम्न चार उप मिशन शामिल है ;

1.पशुधन विकास

2.उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में सुअर विकास

3. Feed और चारा विकास

4. कौशल विकास, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और विस्तार

Agriculture Marketing Infrastructure:

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने अवगत करवाया कि भारत सरकार ने तत्कालीन ग्रामीण भण्डारण योजना व AMIGS का विलय कर Agriculture Marketing Infrastructure(AMI) की शुरूआत की है जो कि 01.04.2014 से प्रभावी है । Agriculture Marketing Infrastructure (AMI) योजना के तहत दिनांक 01.04.2014 से 05.08.2014 के दौरान ऋण स्वीकृत प्रस्तावों को नाबार्ड को भेजने हेतु अनुरोध किया ।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने बताया कि तत्कालीन ग्रामीण भण्डारण योजना व AMIGS के तहत मंजूर सावधि ऋण परियोजनाओं मे Joint Monitoring Inspection (JMI) दिनांक 28.02.2015 तक होना है अतः आवश्यक दस्तावेज नाबार्ड को भेजना सुनिश्चित करें ।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

संयुक्त देयता समूह :

संयुक्त देयता समूह 4 से 10 व्यक्तियों का एक अनौपचारिक समूह है जो अकेले या समूह व्यवस्था के माध्यम से आपसी गारंटी देकर बैंक से ऋण लेने के लिये बनाये जाते हैं। भूमि का स्वामित्व न रखने वाले पट्टा किसानों और छोटे किसानों को शामिल कर संयुक्त देयता समूह बनाये जा सकते हैं ।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने बताया कि 10,000 संयुक्त देयता समूह के लक्ष्य के सापेक्ष दिसम्बर, 2014 तक 7165 समूहों को बैंको ने वित्तपोषित कर सराहनीय कार्य किया हैं।

Capital Subsidy Scheme to install Solar Photovoltaic (SPV) Water Pumping Systems for irrigation purpose

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा संशोधित मानकों के साथ इस योजना को फिर से शुरू किया है।

संशोधित नई योजना के तहत 4800 पम्पिंग इकाइयों को ऋण देने का लक्ष्य राज्य के लिए आवंटित किया गया है। एस.एल.बी.सी. द्वारा 4800 पम्पिंग इकाइयों को ऋण देने के लक्ष्यों का आवंटन बैंकवार कर दिया गया है ।

मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने योजना के अंतर्गत समेकित प्रगति लाने की आवश्यकता पर बल दिया ।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

Dispensing with 'No Dues Certificate' for lending by Banks :

भारतीय रिजर्व बैंक ने परिपत्र दिनांक 28.01.2015 से सूचित किया है कि ग्रामीण तथा अर्द्धशहरी क्षेत्रों में किसी व्यक्ति, स्वयं सहायता समूह तथा संयुक्त देयता समूह समूह द्वारा लिए जाने वाले कर्ज के लिए नोडयूज सर्टिफिकेट की जरूरत समाप्त कर दी गई है ।

महाप्रबन्धक (कार्यालय प्रभारी-क्षेत्रीय निदेशक),भारतीय रिजर्व बैंक ने बताया कि तकनीकी विकास के युग को ध्यान में रखते हुए नोडयूज सर्टिफिकेट की आवश्यकता को समाप्त किया गया है।

Recovery Cases Pending under RACO (ROD) Act 1974

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा Rajasthan Agricultural Credit Operations(Removal of Difficulties) Act,1974 तहत दायर मामलों मे वसूली हेतु राजस्व अधिकारियों को लक्ष्य आंवटित कर वसूली मे सहयोग करने का राज्य सरकार से आग्रह किया गया ।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने बताया कि RACO/RODA मे दर्ज 2.00 लाख एवं अधिक के मामलों को निर्धारित प्रारूप में दिनांक 15.03.2015 तक एस.एल.बी.सी. को प्रस्तुत करने का अनुरोध किया ताकि समेकित सूची राज्य सरकार को वसूली की उचित कार्यवाही हेतु अग्रेषित की जा सके ।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

एजेण्डा क्रमांक – 5: Government Sponsored Schemes:

National Rural Livelihood Mission:

योजना के तहत 24793 SHG's गठित और सहयोजित (Co-opted) किए गये हैं तथा 5436 SHG's को बैंक क्रेडिट लिंकज भी किया गया है। (Source Data : Rajeevika, Dec. 14)

सचिव, ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन निदेशक,(LP & SHG) राजस्थान सरकार ने सभी बैंक सदस्यों से इस योजना के क्रियान्वयन में लगातार प्राप्त सहयोग हेतु धन्यवाद दिया तथा बताया कि NRLM द्वारा अच्छी गुणवत्ता के स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा रहा है एवं शतप्रतिशत Recovery में भी सहयोग प्रदान करने हेतु आश्वास्त किया गया एवं उन्होने जानकारी दी की यदि किसी शाखा में NRLM के अंतर्गत यदि 50 SHG को बैंक लिंकेज/ क्रेडिट लिंकेज किया है तो उस शाखा में Bank Mitra की नियुक्ति हमारे द्वारा की जायेगी।

प्रतिनिधि, राजस्थान ग्रामीण आजिविका विकास परिषद (RGAVP) ने बताया कि सभी बैंकों ने योजना में सराहनीय कार्य किया है परंतु सीबीएस सिस्टम में सही SHG Bank Linkage Code नही भरने के कारण NRLM Portal पर वास्तविक उपलब्धि से कहीं कम दर्शाती हैं । उन्होने सभी सदस्य बैंकों से सही कोड भरने तथा संशोधित कोड भरने का आग्रह किया जिससे वास्तविक उपलब्धि दर्शायी जा सकें ।

संयोजक एस.एल.बी.सी. ने उक्त योजना में वित्त वर्ष 2014-15 के लक्ष्यों को प्राप्त किये जाने पर बल दिया तथा आर-सेटी द्वारा BPL अभ्यर्थियों को प्रदत प्रशिक्षण के खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए दर्ज कराए गये दावों पर विचार करने के लिए सचिव, ग्रामीण विकास से अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: सभी सदस्य बैंक/ग्रामीण विकास विभाग)

National Urban Livelihood Mission (NULM):

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को सूचित किया गया कि 01.04.2014 से राज्य मे **SJSRY** की जगह NULM (National Urban Livelihood Mission) लागू की गयी है तथा परियोजना निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए राज्य हेतु योजनान्तर्गत नगर निकाय वार लक्ष्य आवंटन कर 23.07.2014 को प्रेषित किये गये जो कि SLBC द्वारा दिनांक 25.07.2014 को सभी LDM's को Circulate कर दिये गये हैं।

उप निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा सूचित किया कि योजना के तहत अब तक 3000 आवेदन पत्र बैंको को भिजवाये जा चुके है जो विभिन्न बैंकों में निस्तारण हेतु लम्बित हैं।

इसी क्रम मे संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने लम्बित आवेदन पत्रों के शीघ्र निस्तारण हेतु सदस्य बैंको से अनुरोध किया साथ ही उन्होने उपनिदेशक स्थानीय निकाय विभाग, राज. सरकार से अनुरोध किया कि वह एस.एल.बी.सी. को विभिन्न बैंको को प्रेषित आवेदन की जानकारी भिजवाये।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक/स्थानीय निकाय विभाग)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

नोडल एजेंसी के प्रतिनिधि द्वारा बताया गया है कि चालू वर्ष (2014-15) के दौरान PMEGP योजना के तहत प्रथम किस्त का वितरण EDP Training के बाद ही किया जाना है, अतः बैंक पात्र आवेदन पत्रों में ऋण स्वीकृति की कार्यवाही यथाशीघ्र करें जिससे स्वीकृत आवेदन पत्रों में EDP Training लाभार्थियो को दी जा सके। साथ ही लम्बित आवेदन पत्रों का बैंको द्वारा शीघ्र निस्तारण करने एवं PMEGP ई- ट्रैकिंग पोर्टल पर पर स्वीकृति, वितरण की सूचनायें अधतन करने का अनुरोध भी किया गया साथ ही उन्होने यह भी बताया कि विभिन्न बैंकों मे लगभग 3570 आवेदन एवं 67 करोड़ की मार्जिन मनी पेंड़िग है।

राज्य परियोजना समन्वयक ने बताया कि NAR एवं KVIC के मध्य MoU हस्ताक्षर हुआ है जिसमें पीएमई-जीपी के सभी लाभार्थियों को RUDSETIs / RSETIs के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना प्रस्तावित है।

संयोजक, एस.एल.बी.सी ने लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण RBI द्वारा निर्धारित समय सीमा में करने तथा वितरण हेतु लम्बित प्रकरणो में जहां लाभार्थियो द्वारा EDP प्रशिक्षण लिया जा चुका है, उनमें वितरण की कार्यवाही शीघ्र किये जाने हेतु बैंको से अनुरोध किया तथा सभी बैंको से PMEGP ई- ट्रैकिंग पोर्टल पर स्वीकृति, वितरण की सूचनायें अधतन करने का अनुरोध भी किया गया तथा KVIC से अनुरोध किया कि ऐसे स्वीकृत आवेदन पत्र जिनमें EDP Training नहीं हुई है उनकी सूची एस.एल.बी.सी. को भेजे जिससे RUDSETIs / RSETIs के माध्यम से समयबद्ध प्रशिक्षण दिलवाने की कार्यवाही की जा सके।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

Self Help Groups (SHG)

सदन को अवगत करवाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 मे दिसम्बर, 2014 तक राज्य में 16132 स्वयं सहायता समूहों का बैंक लिंकेज से तथा 12155 समूहों को बैंक ऋण से जोड़ा गया है । सदन को यह भी अवगत करवाया कि स्वयं सहायता समूह का Saving Bank खाता खोलते समय केवल अधिकृत पदाधिकारी गण (office Bearer) के KYC दस्तावेज की लिये जाने चाहिए ।

NRLM, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार एवं IBA द्वारा संयुक्त रूप से तैयार SHG बैंक/क्रेडिट लिंकेज के Common आवेदन पत्र को Table Agenda के रूप मे अनुमोदन हेतु रखा गया । सदन द्वारा Common आवेदन पत्र जिसमे बचत खाता खोलने का आवेदन पत्र एवं ऋण आवेदन पत्र, दोनो को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिए अनुमोदित किया गया।

भारत सरकार की पिछड़े जिलों यथा बाडमेर,बांसवाडा,डूंगरपुर,झालावाड में महिला स्वयं सहायता समूहों के संवर्धन योजना के तहत राज्य में वर्ष 2014-15 के लिये 7080 SHGs का गठन किया गया । दिसम्बर' 2014 तक कुल 6805 समूहों का बैंक लिंकेज तथा 2421 समूहों का क्रेडिट लिंकेज किया गया है।

महाप्रबन्धक, नाबार्ड ने बताया कि उक्त योजना में वांछित प्रगति नही आ रही है अतः इसकी गहन मोनिटरिंग करनें की आवश्यकता बतलायी तथा अधिक से अधिक स्वयं सहायता समूहों को बैंक लिंकेज व क्रेडिट लिंकेज से जोडने का आग्रह किया गया ।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

एजेण्डा क्रमांक – 6:

Rural Self Employment Training Institute (RSETI) and Financial Literacy & Credit Counseling Centers (FLCC) :

Rural Self Employment Training Institute (RSETI):

राज्य परियोजना समन्वयक ने बताया कि RSETIs द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान 14377 उम्मीद्वारो को प्रशिक्षित किया गया है तथा वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिशानिर्देशानुसार 50% बैंक लिंकेज के लक्ष्यों के सापेक्ष केवल 1877 (13.05%) उम्मीद्वार ही बैंक लिंकेज से Settled हुए है जो अपेक्षा से काफी नीचे है।

राज्य परियोजना समन्वयक ने बताया कि वार्षिक कार्य योजना 2014-15 बजट मे दिये गये प्रशिक्षण के लक्ष्यों के सापेक्ष दिसम्बर,14 तक बहुत कम प्रशिक्षण कार्यक्रम किये गये हैं। अतः ऑफसाइट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया साथ ही RSETIs प्रायोजित बैंकों से अनुरोध किया कि वार्षिक कार्य योजना 2015-16 को LAC में अनुमोदित करवाकर NAR, बैंगलोर को अंतिम अनुमोदन हेतु भेजने का कार्य भी शीघ्र पूरा किया जायें।

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने RSETI द्वारा प्रशिक्षित उम्मीदवारों को बैंक शाखाओं द्वारा क्रेडिट लिंकेज किए जाने की जरूरत पर बल दिया गया एवं बैंक की प्रत्येक शाखा द्वारा प्रति वर्ष 10 बेरोजगार उम्मीद्वारों की पहचान कर RSETI से प्रशिक्षण दिलवाने के कार्य में सहयोग हेतु जोर दिया। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार कई जिलों में RSETIs ने बैंकों की शाखाओं को वित्तीय सहायता के लिए आवेदन पत्र भेजना शुरू कर दिया है लेकिन रिपोर्टों के अनुसार, इस तरह के आवेदन पत्र लंबित रहते हैं । सदन ने लम्बित रहे आवेदनों का शीघ्र निस्तारण हेतु अनुरोध किया एवं वार्षिक कार्य योजना 2014-15 के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए ज्यादा से ज्यादा ऑफसाइट प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने पर जोर दिया ।

(कार्यवाही: DCC Convenor Banks)

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने राज्य सरकार से अलवर एवं भरतपुर R-Seti को भूमि आवंटन करने तथा भूमि आवंटन से जुडे अन्य 6 लम्बित मामलो को शीघ्र निस्तारण हेतु राज्य सरकार से अनुरोध किया ।

शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं स्टेट मिशन डायरेक्टर, (LP & SHGs) राजस्थान सरकार, ने सभी लम्बित मामलों को शीघ्र निस्तारण हेतु आश्वस्त किया ।

(कार्यवाही: ग्रामीण विकास विभाग)

Financial Literacy Centers (FLCs):

राज्य मे 59 **FLCs** केन्द्र स्थापित किये जा चुके है व इन केन्दों द्वारा समय-समय पर जागरुकता कैम्प,रात्री चौपाल व बैठकों के माध्यम से वित्तीय साक्षरता मुहैया करवायी जा रही है।इन केन्द्रों के माध्यम से वित्तीय शिक्षा एवं साक्षरता का प्रचार प्रसार कर PMJDY रूपे कार्ड के उपयोग बढ़ाने तथा अन्य लाभों से अवगत करवाने हेतु संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने जोर दिया तथा इसे चुनौती के रूप में लेने हेतु आग्रह किया । सभी सदस्य बैंकों से आग्रह किया कि ग्राहकों को शाखा स्तर भी शिक्षित करने के लिए कर्मचारियों/अधिकारियों को संवेदनशील बनाया जाना चाहिए।

भारतीय रिजर्व बैंक के महाप्रबन्धक (कार्यालय प्रभारी-क्षेत्रीय निदेशक) ने सभी सदस्य बैंको से अनुरोध किया कि वह अपनी शाखाओं को निर्देशित करे कि प्रत्येक शाखा द्वारा महिने में कम से कम एक आउटडोर वित्तीय साक्षरता शिविर आर्थिक रूप से बहिष्कृत लोगों पर ध्यान देने हेतु संचालित करे तथा कुछ जिलों में स्थापित FLCs द्वारा वांछित/आशानुरूप कार्य नही करने पर चिंता व्यक्त की एवं उन FLCs के Sponsor बैंकों से अनुरोध किया कि इन FLCs द्वारा आशानुरूप प्रगति लाने हेतु भरसक प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

(कार्यवाही: सदस्य बैंक)

क्रमांक – 7: Performance under CGTMSE:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. ने अवगत करवाया कि वित्त वर्ष 2014-15 के दौरान दिसम्बर 2014 तक राज्य में 675 करोड़ के 8471 प्रकरणों को CGTMSE योजना के तहत कवर किया गया।

एजेण्डा क्रमांक – 8: शिक्षा ऋण: चालू वित्त वर्ष 2014-15 के लिये MOF द्वारा निर्धारित 97499 खातों मे कुल बकाया राशि रु.2388.55 करोड़ के लक्ष्यों के पेटे प्राप्ति (Achievment) 63153 खातों में बकाया राशि रु.1507.87 करोड़ रही ।

एजेण्डा क्रमांक – 9:Rajiv Rinn Yojana- Housing to Urban Poor:

The Ministry of Housing and urban Poverty Alleviation (MH&UPA), भारत सरकार ने शहरी क्षेत्र में आर्थिक कमजोर वर्ग तथा कम आय समूहों को आवासीय जरुरतों को पूरा करने के लिये एक संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना - राजीव ऋण योजना चालू की है ।

एजेण्डा क्रमांक–10: वसूली:

संयोजक, एस.एल.बी.सी. द्वारा सदन को अवगत करवाया गया कि शीघ्र वसूली हेतु मजबूत कानूनी ढांचा बनाने की जरुरत हैं ।

अध्यक्ष महोदय ने विभिन्न सरकारी योजनाओं तहत बकाया की वसूली स्टेट ड्यूज की तरह करने के लिये PDR Act मे आवश्यक संशोधन करने हेतु वित्त/राजस्व विभाग राजस्थान सरकार से पुन: विचार करने हेतु अनुरोध किया गया।

(कार्यवाही: राजस्व विभाग)

NPA के उच्च स्तर को देखते हुये **अध्यक्ष महोदय ने** राज्य सरकार के अधिकारियों से संयुक्त वसूली Compaign आयोजित करने का आग्रह किया ।

एजेण्डा क्रमांक – 11:

Disaster Management Act 2005:

National Diasaster Management Authority (NDMA), GoI has formulated guidelines on ensuring disaster construction of building and infrastructure financed through banks

सभी बैंको से NDMA की Guidelines को लागू करने व अनुपालना हेतु अनुरोध किया गया ।

बैठक का समापन सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित कर किया गया ।

****